53

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि–पत्र

का०आ०सं०–03 / न०प्र०नि० / PMAY-AHP Fund /29/2018 ....372.... राँची, दिनांक:–27/03/18

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के स्वीकृत्यादेश सं०–229 दिनांक–20.12.2016 द्वारा नवजीवन आश्रम (कुष्ठाश्रम), देवनगर जमशेदपुर में 400 आवास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू० 30,67,20,015 / –(तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यान्वयन एजेंसी सर्वश्री जुडको लि० को राज्य योजना मद से कुल रू० 30,67,20,015 / –(तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त योजना पर भारत सरकार की दिनांक 23.08.2017 को आयोजित 25वीं CSMC बैठक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास (AHP)" परियोजनाओं के रूप में अनुमोदन प्रदान करते हुए 400 आवास निर्माण हेतु प्रति आवास रू० 1.5 लाख की दर से केन्द्रांश के रूप में कुल 6,00,00,000 / –रू० के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु प्रथम किश्त की राशि (40%) पत्रांक N-11012/2/2018-HFA-III दिनांक–19.01.2018 द्वारा रू० 2.40 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है।

3. उपर्युक्त में वर्णित तथ्यों के क्रम में प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश संख्या 229, दिनांक–20.12.2016 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :–

<table>
<tr><th>कंडिका सं०</th><th>पूर्व में निर्गत प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>कंडिका 1</td><td>......................तकनीकी स्वीकृति प्राप्त परियोजना के लिए कुल रू० 30,67,20,015 / – (रूपया तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य मद के TSP प्रक्षेत्र के वृहत शहरी परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना शीर्ष राशि आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।</td><td>................तकनीकी स्वीकृति प्राप्त परियोजना के लिए कुल रू० 30,67,20,015 / – (रूपया तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नवर्णित कंडिका–6 के अनुसार राशि व्यय करने की स्वीकृति देते हुए यथावर्णित राशि आवंटित की जाती है।</td></tr>
<tr><td>कंडिका 3</td><td>चूँकि उक्त आवास निर्माण की योजना कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु है अतः उक्त आवासीय योजना के निर्माण में होने वाले समस्त खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रस्ताव हैं</td><td>चूँकि उक्त आवास निर्माण की योजना कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु है, अतः उक्त आवासीय योजना के निर्माण में होने वाले खर्च का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमान्य अनुपात में किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>कंडिका 6</td><td>उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में शहरी विकास अन्तर्गत कर्णाकित TSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगी :–
<table><tr><th>प्रक्षेत्र</th><th>बजट शीर्ष</th><th>स्वीकृत राशि (रू०)</th></tr><tr><td>TSP</td><td>मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य, लघुशीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना – उपशीर्ष–79–वृहद् शहरी परिवहन योजनायें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना– विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)– 48P221780796790679</td><td>306720015</td></tr></table></td><td>उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में शहरी विकास अन्तर्गत कर्णाकित TSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगी :–
<table><tr><th>प्रक्षेत्र</th><th>बजट शीर्ष</th><th>स्वीकृत राशि (रू०)</th></tr><tr><td>TSP</td><td>मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य, लघुशीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना – उपशीर्ष– 79–वृहद् शहरी परिवहन योजनायें, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना– विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)– 48P221780796790679</td><td>246720015</td></tr></table>
पूर्व में राज्य मद से आवंटित की गयी 6,00,00,000 / –रू० (रूपया छः करोड़ मात्र) की अतिरिक्त राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–204, दिनांक–18.12.2017 द्वारा बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क हेतु स्वीकृत AHP परियोजनाओं में व्यय किया जाएगा।</td></tr>
</table>

Rakesh/E/RNC/BMBT/10

4. उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित केन्द्रांश की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त 40% राशि रु० 2,40,00,000/– (दो करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति PMAY योजना के लिए नामित नोडल एजेन्सी नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रदान की जाती है।

5. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद से निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी :–

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
TSP	बजट माँग सं0–48–नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) –मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास– उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–89– प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) –विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) कोड–48C221780796890679	24000000/-

6. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय, होंगे जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची से की जायेगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि की निकासी इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से करते हुए राशि का संधारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या:– वित्त–19/वित्त नियंत्रण–3006/15–2917/वि० दिनांक: 30.09.2016 के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या–02 दिनांक:– 03.01.2017 के द्वारा PMAY योजना अंतर्गत खोले गए बैंक खाता जो कि PFMS में पंजीकृत है, में राशि हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे। PMAY की बैंक से संबंधित विवरणी निम्नवत है:–

Name of Bank	IFSC Code	A/c Title	A/c No.
Bank Of India, Clubside Branch	BKID0004902	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)	490210110014358

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि को निकायों/एजेंसी के मांग पत्र एवं निदेशालय से निर्गत आदेश के अनुरूप PFMS के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में उक्त राशि आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 के कंडिका–5 के अनुसार उल्लेखित स्वीकृत राशि के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि की निकासी उल्लेखित वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में की जाए।

12. स्वीकृत्यादेश संख्या–229 दिनांक–20.12.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

13. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 229 दिनांक–20.12.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

(अरूण कुमार सिंह) 27.3.18
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–03/न०प्र०नि०/PMAY-AHP Fund /29/2018 372 राँची, दिनांक– 27/03/18

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स०/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी प्रोजेक्ट भवन कोषागार धुर्वा, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय/लेखा शाखा, नगरीय प्रशासन निदेशालय/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.18
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Rakesh/E/RNC/BMBT/11

(18)

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5MISc-85/16-229/229 दिनांक - 20-Dec-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 48 221780796790679 2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 79 - वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	78587	PRJUDV001 CHANDESHWAR RAI UNDER SECRETARY	306,720,015.00 रुपये तीस करोड सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह

योग: 306,720,015.00

क्रमिक योग: रुपये तीस करोड सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह

(ARUN KUMAR SINGH) 21.12.16

PRINCIPAL SECRETARY

Run Date: 20/12/2016

20/12/16

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक : -- 5/नवि/विविध-85/2016 229

झारखण्ड सरकार

TSP

(17)

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह, भा० प्र० से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

दि०-20/12/16

विषय: **नवजीवन आश्रम (कुष्ठाश्रम), देवनगर जमशेदपुर में 400 आवास के निर्माण हेतु रु० 306720015/- (रुपया तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार पंद्रह मात्र) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की संवैधानिक दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग का है। नवजीवन आश्रम (कुष्ठाश्रम), देवनगर जमशेदपुर में एक कुष्ठाश्रम अवस्थित है। उक्त कुष्ठाश्रम में रहने वाले लाभुकों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु आवास निर्माण की योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया गया है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त परियोजना के लिए कुल **रु० 306720015/- (रुपया तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार पंद्रह मात्र)** की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य मद के **TSP** प्रक्षेत्र के **वृहत शहरी परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना शीर्ष राशि आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।**

2. प्रस्तावित आवास निर्माण की योजना दो वर्ष (24 माह) में पूरी की जायेगी। उक्त योजना अन्तर्गत चार सौ आवास का निर्माण किया जायेगा।
3. चूँकि उक्त आवास निर्माण की योजना कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु है अतः उक्त आवासीय योजना के निर्माण में होने वाले समस्त खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।
4. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में निम्नांकित अवयव एवं लागत सम्मिलित है:-

Abstract of Cost for construction of 400Dwelling Units in Navjivan Ashram, Jamshedpur

Sl. No.	Head	Unit	No.	Rate Per Unit (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Housing Block with Plumbing and Sanitary works, Electrical and Septic Tank (400 Dus) (25 Blocks Of 16 Dus in each block)	Each Block	25	8949952.85	223748821.27
2	Shifting / Relocation of slum dwellers till construction of Dus	Beneficiaries	388	50000.00	19400000.00
3	Community Center with Main Building, Plumbing and Sanitary works, Electrical and Septic Tank	Each Block	1	3458462.37	3458462.37
4	Boundary Wall	30 M	39.137	190617.41	7460193.58
5	Boundary Gate	Each	3	83699.41	251098.23
6	Internal Road	100 M	10.94	644785.20	7053950.31
7	Drain	100M	27.18	125411.27	3408678.32
8	Sump	Each	5	494742.80	2473714.00
9	HYDT Bore Well with Submersible	Each	14	299481.10	4192735.40
10	Rain Water Harvesting Tank	Each	4	258544.00	1034176
Sub Total (A 1)					**272481829.48**
Add 1% of (A1) labour Cess					**2724818.29**
Total (A 2)					**275206647.77**
Add 5% of (A2) Site Development and Horticulture Development					**13760332.39**
Total (A3)					**288966980.16**
Detail Project Report (DPR) preparation Charge (@0.43% of A3 as per agreement with Consultant)					**1242558.01**
Total (A4)					**290209538.18**

Centage Charge to JUIDCO for implementation of the Project (As per Sankalp Memo No. 3201/वि॰ Dated 04-11-2016) (@7% up to Rs. 10 Crores + @5% above Rs. 10 Crores and up to Rs. 100 Crores) (A5)	**16510476.91**
Grand Total (A4+A5)	**306720015.09**
Say	**306720015.00**

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **अवर सचिव – सह – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग** होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर JUIDCO Ltd. के PL Account में हस्तांतरित की जायेगी।
6. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शहरी विकास अन्तर्गत कणांकित TSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगी :--

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रु॰)
TSP	मुख्य शीर्ष – 2217 – शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष – 80 – सामान्य, लघु शीर्ष – 796 – जन जातीय क्षेत्र उपयोजना -- उप शीर्ष – 79 – वृहद् शहरी परिवहन योजनायें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना – विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान – 79 – सहायता अनुदान सामान्य (गैर – वेतन) – 48P221780796790679	306720015.00

7. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से किया जाएगा।
8. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि॰ दिनांकः 20.03.2015 की कंडिका – 5 के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम – 340 – 343/ कोषागार संहिता के नियम – 300 एवं सांगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या – 2561 दिनांकः – 17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय- समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. JUIDCO Ltd. को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी। राशि व्यय होने के पश्चात् विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण – पत्र महालेखाकारकार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. विगत वर्ष के पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2014-15) में JUIDCO Ltd., राँची को इस मद में कोई आवंटन निर्गत नहीं किया गया है। अतएव उपयोगिता प्रमाण – पत्र संबंधी प्रतिवेदन शून्य है।
12. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या – 301, दिनांकः – 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
13. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे सम्बंधित पुस्तकों/ पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि॰ दिनांक : - 20.03.2015के कंडिका – 5 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
15. इस योजना का क्रियान्वयन JUIDCO Ltd. के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाकर किया जाएगा।
16. योजना अन्तर्गत निर्मित आवास का लाभुकों को आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। लॉटरी के लिए समिति में उपायुक्त, देवघर के प्रतिनिधि, देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त एवं लाभुकों के एक प्रतिनिधि होंगे।
17. योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
18. प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश प्रारूप पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या –759/वि॰ दिनांक : - 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित की जाएगी।

(अरुण कुमार सिंह) 20-12-16
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः-- 5/न॰वि॰/विविध-85/2016 ....229.... राँची/ दिनांकः-- 20/12/16

प्रतिलिपिः-- माननीय मंत्री, नगर विकास एवं विभाग के आप्त सचिव/ योजना – सह – वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक, जुडको लि॰, राँची/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि॰, राँची/ संयुक्त सचिव (योजना) नगर विकास एवं आवास विभाग/ आतंरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/ अवर सचिव – सह – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/ श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/ बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-12-16
सरकार के प्रधान सचिव।